न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तगण

1. रिकिन अग्रवाल पुत्र श्री निरंजन, (प्रोपराईटर एवं विक्रेता)
फर्मः– मैसर्स कान्हा ट्रेडर्स, आजाद मैदान, आबूरोड़, जिला-- सिरोही
स्थाई पता:17 / ए, अम्बेडकर कॉलोनी, महावीर सिनेमा रोड़, आबूरोड़, जिला–सिरोही
2. रामलाल पुत्र श्री चमनलाल, (नॉमिनी व निर्माता)
फर्मः–M/s KBB NUTS PVT. LTD., DHAPAI ROAD, CHABBAL LINK ROAD, Amritsar-1, Amritsar, Panjab- 143001
स्थाई पता:681, जी.टी.रोड़, राजेन्द्र नगर, अमृतसर प्रथम, अमृतसर (पंजाब)–143001

F.S.S.Act Case No.73/2025

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः अधिवक्ता श्री मेहुल रावल, प्रतिवादीगण की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक 06 मार्च, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन, प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 17–5–2025 को मैसर्स कान्हा ट्रेडर्स, अम्बेडकर कॉलोनी, महावीर सिनेमा रोड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता रिकिन अग्रवाल पुत्र श्री निरजंन से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड तुलसी) का नमूना संख्या S-2718 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./890/Act/2025/890 दिनांक 27–5–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री मेहुल रावल उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 06–3–2026 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में दिनांक 06–3–2026 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री मेहुल रावल की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादीगण के जबाव में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रतिवादीगण के जबाव को स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया।

(3) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, सिरोही, दिनांक 17–5–2025 को समय 4–00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स कान्हा ट्रेडर्स, आजाद मैदान, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। पर प्रोपराईटर व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी रिकिन अग्रवाल पुत्र श्री निरंजन, निवासी– 17 / ए, अम्बेडकर कॉलोनी, महावीर सिनेमा रोड़, आबूरोड़ उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स कान्हा ट्रेडर्स, आजाद मैदान,

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

आबूरोड़, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स कान्हा ट्रेडर्स, आजाद मैदान, आबूरोड़, जिला– सिरोही की दुकान के अन्दर एक स्टेनलेस स्टील की रैक में गत्ता कार्टून में खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड तुलसी) के 32 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक पैकेट 250–250 ग्राम) आम जनता को बिक्री हेतु रखे हुये पाये, जिनमें मिलावट का अन्देशा होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता रिकिन अग्रवाल पुत्र श्री निरंजन को गवाह श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मैसर्स कान्हा ट्रेडर्स, आजाद मैदान, आबूरोड़ की दुकान के अन्दर एक स्टेनलेस स्टील की रैक में गत्ता कार्टून में आम जन के विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड तुलसी) के 32 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक पैकेट 250–250 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड तुलसी) के 4 पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 250–250 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 900/– (रुपये नौ सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता रिकिन अग्रवाल पुत्र श्री निरंजन को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2718, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड तुलसी) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता रिकिन अग्रवाल पुत्र श्री निरंजन व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड तुलसी) के 250–250 ग्राम के चारों पैक पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड तुलसी) के चारों नमूना पैकेटों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता रिकिन अग्रवाल पुत्र श्री निरंजन तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता रिकिन अग्रवाल पुत्र श्री निरंजन व उक्त गवाह तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 19–05–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर VI का एक सील बन्द लिफाफा, श्री प्रवीण कुमार, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर VI का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 17–5–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स कान्हा ट्रेडर्स, आजाद मैदान, आबूरोड, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता रिकिन अग्रवाल पुत्र श्री निरंजन से खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड तुलसी) के 4 पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 250–250 ग्राम)

.....पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक,जोधपुर से खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड तुलसी) के नमूना संख्या S-2718 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./890/Act/2025/890 दिनांक 27–5–2025 में खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड तुलसी) का नमूना संख्या S-2718, अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) रिकिन अग्रवाल पुत्र श्री निरंजन की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स कान्हा ट्रेडर्स, आजाद मैदान, आबूरोड़, जिला–सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड तुलसी) के 250–250 ग्राम के पैक पैकेटों को फर्म मैसर्स M/s KBB NUTS PVT. LTD., DHAPAI ROAD, CHABBAL LINK ROAD, Amritsar से जरिये बिल इनवोइस नम्बर 2501000019 दिनांक 02–4–2025 से क्रय किया गया था, जो उक्त खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड़ तुलसी) की निर्माता व पैकर फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, जिसके अनुसार अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड तुलसी) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म मैसर्स M/s KBB NUTS PVT. LTD., DHAPAI ROAD, CHABBAL LINK ROAD, Amritsar मुख्य रुप से दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म M/s KBB NUTS PVT. LTD. द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड तुलसी) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी रिकिन अग्रवाल पुत्र श्री निरंजन को दोषमुक्त करते हुए अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ बादाम (ब्राण्ड तुलसी) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रतिवादी निर्माता फर्म M/s KBB NUTS PVT. LTD., DHAPAI ROAD, CHABBAL LINK ROAD, Amritsar-1, Amtirsar (Punjab)- 143001 पर राशि रुपये 40,000/– (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, उक्त निर्माता फर्म M/s KBB NUTS PVT. LTD. के नॉमिनी प्रतिवादी रामलाल पुत्र श्री चमनलाल को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म M/s KBB NUTS PVT. LTD., DHAPAI ROAD, CHABBAL LINK ROAD, Amritsar पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 06 मार्च, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)